124

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक R. 5006-II / 2015

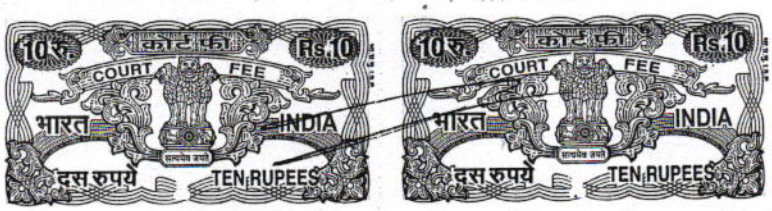

344
25.8.15

1– सुमन शर्मा पति स्व0 जगदीश प्रसाद

2– सन्तोष तनय स्व0 शिवदास

3– सुदामा तनय स्व0 शिवदास

4– नारायण तनय स्व0 शिवदास

निवासी अमहिया रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्तागण

बनाम

1– शम्भू प्रसाद तिवारी तनय स्व0 रामदास तिवारी

2– चन्द्रभान तिवारी तनय स्व0 रामदास तिवारी

3– उमाशंकर तिवारी तनय स्व0 रामदास तिवारी

4– धीरेन्द्र शर्मा तनय स्व0 कमला प्रसाद

निवासी अमहिया रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————अनावेदकगण

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड द्वारा आज दिनांक 25-8-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
रेवेन्यू कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश नजूल तहसीलदार रीवा दिनांक 24/07/2015 जो प्रकरण क0–84अ6/13–14 (शम्भू प्रसाद तिवारी वगैरह विरूद्ध श्री कामता (फौत) एवं अन्य) में पारित

मान्यवर,

<u>पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–</u>

1– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24/07/2015 सर्वथा अवैधानिक तथा विधि, प्रक्रिया के विपरीत होने से कायम रखने योग्य नही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 5006-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि नजूल तहसीलदार, रीवा ने आक्षेपित आदेश दि २४-७-१५ से केवल उनके न्यायालय के प्र क्र ८४-अ-६/१३-१४ को, आवेदक का आवेदन पत्र समाधानकारक पाते हुए, पुनर्स्थापित किया है, जिसे उन्होंने इसके पूर्व दि ८-९-१४ को अदम पैरवी में ख़ारिज कर दिया था. इस आदेश के बाद उभयपक्ष के पास अपना अपना पक्ष समर्थन करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अवसर उपलब्ध है, और इस आदेश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हों या प्रभावित होने संभावित हो गए हों, ऐसा नहीं मन जा सकता. अतः, मैं इस आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता और उसे यथावत रखतें हुए यह निगरानी आवेदन अग्राह्य करता हूँ. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	